

# अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत का समावेशी योगदान

निखिल चतुर्वेदी

महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर

## ARTICLE DETAILS

### Article History

Published Online: 16 Jan 2020

### Keywords

भू-आबद्ध, लघु विकास परियोजना, पुनर्निर्माण, सलमा डैम, रणनीतिक साझेदारी समझौता, सम्प्रभुता, लोकतंत्र, सिविल सोसायटी।

## ABSTRACT

भारत और अफगानिस्तान आपस में गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध साझा करते हैं। 2011 में हुए रणनीतिक साझेदारी समझौते ने देशों के बीच के रिश्ते को और मजबूती दी जो कि अफगानिस्तान का 1979 में हुए सोवियत आक्रमण के बाद पहला ऐसा समझौता है। इस समझौते पर हस्ताक्षर के वक्त सैन्य सहयोग पर भी सहमती बनी जिससे अफगान सुरक्षा बलों को भारतीय सैनिकों की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत द्वारा निर्मित अफगानिस्तान का संसद भवन, सलमा डैम, सड़क निर्माण प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अफगानिस्तान के निमरोज राज्य में देलाराम से जेराज को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण इत्यादि कार्यों के जरिए अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण कार्यों में मदद कर रहा है।

9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने "आतंक के विरुद्ध युद्ध" अन्तर्राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की जिसमें भारत की भूमिका निर्णायक थी क्योंकि भारत विगत दशकों से आतंकवाद से पीड़ित रहा है वो भी पाक प्रायोजित आतंकवाद से जिसका पाकिस्तान ने अपनी भूमि पर पालन-पोषक किया। इसलिए इस अभियान में अमेरिका ने भारत को अहम् स्थान दिया। नवम्बर 2001 में अमेरिका ने तालिबान के विरुद्ध ऑपरेशन कर काबुल की सत्ता से हटा दिया और हामिद करजई के नेतृत्व में अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार का गठन किया। अमेरिका ने 'आतंक के विरुद्ध युद्ध' में भारत को साथ लेकर अफगानिस्तान में भारत को एक नई भूमिका का अवसर प्रदान किया। जिससे भारत अपने पुराने संबंधों को पुनः स्थापित कर सके व अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभा सके।<sup>1</sup>

भारत ने 2001 में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए 100 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की जिसका विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानवीय सहायता, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता राशि प्रदान की। अफगानिस्तान के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा लघु विकास परियोजनाओं (एस.डी.पी.) की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य संघर्ष-ग्रस्त इलाकों में पीड़ित लोगों की सहायता करना तथा आजीविका के विकल्पों के लिए एसडीपी और अन्य क्षमता निर्माण उपायों के जरिए उनकी समस्याओं को सूक्ष्म स्तर पर हल किए जाने की जरूरत पर काम किया। भारत, अफगानिस्तान के आर्थिक विकास में मदद देने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी के बाद पाँचवा सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानकर्ता देश है।<sup>2</sup> अधिकांशतः भारतीय सहायता राशि तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती है, मानवीय सहायता कार्यक्रम,

अवसंरचनात्मक परियोजनाएँ तथा क्षमता निर्माण उपाय के कार्यों के लिए दी जाती है। इसके अतिरिक्त भी भारत से मिलने वाली सहायता राशि से अनेक विकास कार्यक्रमों को नियोजित किया जा रहा जिसमें प्रमुख हैं:-

- प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए खाद्य सहायता, तथा स्कूलों भवनों का निर्माण और पुनरुद्धार।
- इन्दिरा गांधी शिशु कल्याण भवन का निर्माण।
- एक मिलियन टन गेहूँ की आपूर्ति मानवीय सहायता कार्यक्रमों के तहत।
- पुल-ए-खुमरी से काबुल तक 220 किलोवॉट विद्युत लाइन का निर्माण।
- सलमा डैम परियोजना का निर्माण।
- संसद भवन का निर्माण।
- डेलाराम-जेराज सड़क का पुनर्निर्माण।

अतः 2001 में शुरू किये गये विकास कार्यक्रमों के बाद वर्तमान में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत को भूमिका एक विकासकर्ता देश के रूप में उभर के आई है जिसका उल्लेख हम इस लेख में कर रहे हैं। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और सहायता के विविध क्षेत्रों सहित बुनियादी सुविधाओं, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, समाज कल्याण, अधिकारियों, राजनयिकों और पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण आर्थिक विकास और संस्था निर्माण में भारत प्रमुख भूमिका निभा रहा है। अफगानिस्तान के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में लगभग 3500 से 4000 भारतीय नागरिक विभिन्न प्रोजेक्टों में कार्य कर रहे हैं। 2001 के बाद, पिछले पाँच वर्षों के दौरान भारतीय विकास सहायता राशि 750 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। भारत ने अफगानिस्तान में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जिनमें शामिल हैं-पन बिजली परियोजनाएँ,

सड़क निर्माण, कृषि, उद्योग, दूरसंचार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र प्रमुख है।<sup>4</sup>

- भारत-अफगानिस्तान के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक सहयोग और व्यापार में वृद्धि करने के लिए निवेश कर रहा है। अफगानिस्तान राष्ट्रपति की मार्च, 2003 में भारत यात्रा के दौरान भारत-अफगानिस्तान के बीच तरजीह व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement) पर हस्ताक्षर हुए, समझौते के अनुसार अफगानिस्तान के 38 आइटम निर्यात भारत में सौ प्रतिशत टैरिफ छूट रहित होंगे।<sup>5</sup>
- अफगानिस्तान के बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण में भारत का अहम प्रयास 80 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता से 2005 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट 280 किलोमीटर सामरिक सड़क का निर्माण जो अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में "डेलाराम-जेंराग सड़क परियोजना का निर्माण" यह सड़क ईरान-अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित है। भारतीय सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) द्वारा निर्मित इस सड़क का वर्ष 2009 में उद्घाटन कर दिया गया। अफगानिस्तान से यह सड़क नेटवर्क ईरान के रास्ते समुद्र तक पहुंचने और भारत व फारस की खाड़ी में व्यापार सुविधा का मार्ग उपलब्ध करायेगा। वर्तमान में अफगानिस्तान केवल समुद्री पहुंच तक सिर्फ कराची पोर्ट पर निर्भर है।<sup>6</sup>
- भारत सरकार द्वारा 220 किलोवॉट डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण पुल-ए-खुमरी से काबुल तक किया गया। जिसका निर्माण कार्य 2009 में पूर्ण कर लिया गया। इस ट्रांसमिशन लाईन से उत्तरी अफगानिस्तान के फरयाब प्रांत को पूर्ति करने का कार्य भी भारत ने पूर्ण कर लिया। इस परियोजना पर लगभग 39.2 करोड़ रुपये का खर्च आया।<sup>7</sup>

#### भारत-अफगान सम्बन्ध में सभ्यता का मेल

भारत-अफगानिस्तान के आपसी सम्बन्धों को प्रतिष्ठित सलमा बांध परियोजना के माध्यम से देखें जिसका नाम अफगान-भारत मैत्री बांध रखा गया है तो वर्ष 2006 का स्मरण हो जाता है जब भारतीय अभियंता एवं श्रमिक हरीरुद नदी के निर्माण स्थल पर पहुँचे थे। यह स्थल अफगानिस्तान के चिश्ते-ए-शरीफ जिले के हेरात प्रांत से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अशांति एवं संघर्ष से पहले अगर सत्तर के दशक की बात करें तो भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम जल एवं ऊर्जा सलाहकार सेवाएँ (भारत) लिमिटेड (वाफ्कोस) को इस परियोजना के लिए अनुबंधित किया गया था। वाफ्कोस ने 2016 में इस परियोजना को पूरा किया।

कुछ सदियों पहले की चर्चा करे तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर शहर में चिश्ती सम्प्रदाय की नींव रखी थी। इस सम्प्रदाय की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ते-ए-शरीफ जिले में हुई थी वर्तमान में पश्चिमी अफगानिस्तान का यही वह जिला जहाँ सलमा बांध गर्व से स्थापित है। यह बांध भारत-अफगानिस्तान के मध्य न केवल सामयिक एवं भौगोलिक-राजनीतिक महत्व का साक्ष्य है अपितु सदियों प्राचीन सभ्यताओं का मेल है जिसने दोनों राष्ट्रों को एकसूत्र में बांधे रखा है।

इस बांध का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने किया था। मोदी ने इसका उद्घाटन दूसरी अफगान यात्रा के दौरान किया था जो छः माह से भी कम अवधि में की गई थी। अफगान-भारत मैत्री बांध भारत द्वारा अफगानिस्तान में चलाई गई सबसे बड़ी विकास परियोजना है। 42 मेगावाट के ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत व अफगानिस्तान के 1,500 से भी अधिक कर्मियों ने दस वर्षों में 1,775 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करके पूरा किया है। यह बांध 104.3 मीटर ऊँचा, 540 मीटर लंबा एवं 450 मीटर चौड़ा है। इसके तल पर 633 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी एकत्रित करने की क्षमता है। इसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि इससे 80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी। हेरात नगर के हजारों घरों एवं व्यापारिक संस्थानों को बिजली उपलब्ध हो सकेगी। संलेखों पर यह भारत के लिए कोई बहुत बड़ा निर्माणकार्य न हो क्योंकि भारत ने अपने यहाँ इससे भी बड़े बांध बनाए हैं किंतु वहाँ पर इसका विशेष महत्व है।

भारत सरकार ने जब इस परियोजना को पूर्ण करने की पुनः प्रतिबद्धता जताई थी तब उसे निश्चित रूप से ज्ञात था कि क्या करना है। मूलभूत सुविधाओं वाली यह एक महत्वपूर्ण परियोजना थी जिससे अफगानिस्तान के निवासियों को दीर्घावधि तक लाभ मिलना था। इससे दिल्ली का विदेश को सहायता का विकास आधारित दृष्टिकोण भी सार्थक हो रहा था। वाफ्कोस इस परियोजना पर सोवियत आक्रमण से पूर्व भी कार्य कर रही थी। उसे यह कार्य नए सिरे से नहीं अपितु वहाँ से आरम्भ करना था जहाँ पर छोड़ा गया था। चिंता केवल सुरक्षा की थी। यह वर्ष 2002 था जब तालिबान को काबुल से खदेड़ दिया गया था। कुशल राजनीतिज्ञ एवं अफगान नेता के रूप में हामिद करजई का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। संघर्ष से क्षतिग्रस्त अफगान के पुनर्निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान कर रहे थे। आशावाद की किरणें वातावरण में विद्यमान थीं।

प्रारंभिक अध्ययन पूरा कर परियोजना के लिए आर्थिक राशि स्वीकृत कर दी गई तब तक परिस्थिति पुनः विकृत हो गई थी। तालिबान के समक्ष प्रशासन अपेक्षाकृत निर्बल सिद्ध होने लगा और वे पुनः संगठित होने लगे थे। शीघ्र ही उन्होंने समस्त राष्ट्र में आतंकवादी हमले करने आरम्भ कर दिए। वर्ष

2008 में काबुल स्थित भारतीय दुतावास पर हमला हुआ जिसमें 58 व्यक्ति मारे गये। वर्ष 2010 में काबुल स्थित दो अतिथिगृहों पर हमले हुए जिनमें भारतीय रहा करते थे। इसमें भारतीय श्रमिक एवं चिकित्सक मारे गए थे। गत वर्ष चार भारतीय उस समय मारे गये जब तालिबान ने काबुल में एक अतिथिगृह पर धावा बोला था। अफगानिस्तान स्थित भारतीय मिशनों पर निरन्तर आक्रमण होते रहते हैं तथा श्रमिकों के अपहरण का अंदेशा बना रहता है। यद्यपि निर्माण स्थली सुदूर क्षेत्र में तथा हेरात प्रांत को जोड़ने वाला मार्ग असुरक्षित होने के कारण माह में एक बार अफगान सरकार द्वारा श्रमिकों एवं अधिकारियों का निर्माण स्थल में अथवा वहाँ से बाहर रहने को विवश किया जाता है।

तत्पश्चात् सामग्री की आवाजाही का संकट उत्पन्न हुआ उदाहरण के लिए परियोजना से सम्बन्धित साजो-सामान को पाकिस्तान के मार्ग द्वारा लाना अपेक्षाकृत सरल होता किंतु इसकी संभावना नहीं थी। इसलिए सारा सामान जलपोत द्वारा पहले ईरान लाया जाता है और वहाँ से अफगानिस्तान लाया जाता है। ईरान में भी अपनी सीमा से अधिक मात्रा में विस्फोटक हो जाने की अनुमति नहीं दी जिसका उपयोग पर्वतों को ध्वस्त करने के लिए किया जाना था। किन्तु भारत ने अपनी सकारात्मक कूटनीति के माध्यम से इस बाधा को भी शांति व सफलतापूर्वक पार कर लिया। उसके बाद इसकी लागत को लेकर चिंता आरम्भ हुई। इसके निर्माण का आरम्भिक बजट 350 करोड़ रुपये था जो बढ़कर लगभग 1,800 करोड़ रुपये हो गया। तथापि परियोजना पूर्ण होने पर जब 4 जून, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बांध के जलद्वार खोलने तथा उसके टर्बाइन आरम्भ करने के लिए मिलकर बटन दबाया तब यह संदेह नहीं रहा कि इस परियोजना पर व्यय किया गया एक-एक रुपया, श्रमबल, श्रमिकों का रक्त व पसीना व्यर्थ नहीं गया। वर्तमान में अफगान-भारत मैत्री बांध भारत द्वारा अफगानिस्तान को दी गई विकासोन्मुख सहायता का प्रतीक सिद्ध हो रहा है। यह बांध दोनों राष्ट्रों के विशेष सम्बन्धों का स्थाई द्योतक है।<sup>7</sup>

### भारत-अफगान रणनीतिक भागीदारी करार

भारत गणराज्य तथा अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के बीच रणनीतिक भागीदारी से सम्बद्ध करार का पाठ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित समय की कसौटी पर जाँचे-परखे एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को स्वीकार करते हुए भारत गणराज्य तथा अफगानिस्तान की शाही सरकार के बीच 04 जनवरी, 1950 की मैत्री संधि तथा उसके पश्चात् करारों एवं संयुक्त वक्तव्यों के मूल एवं स्थायी महत्व पर जोर देते हुए आपसी लाभ के लिए अपने परम्परागत एवं ऐतिहासिक सम्बन्धों को और प्रगाढ़ बनाने की आकांक्षा के अनुसरण में, अपने राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना से तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समृद्ध एवं सार्थक परंपरा का

पालन करते हुए, इस विश्वास के साथ कि इनके द्विपक्षीय सम्बन्धों में और व्यापक विस्तार से दोनों राज्यों तथा पूरे क्षेत्र में प्रगति एवं समृद्धि संवर्धित होगी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के पर्याप्त विस्तार तथा इस संदर्भ में पिछले दस वर्षों के दौरान भारत गणराज्य द्वारा अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य को प्रदत्त निःस्वार्थ एवं उदार सहायता की सराहना करते हुए अपने बहुआयामी द्विपक्षीय सम्बन्धों के प्रति दीर्घावधिक वचनबद्धता देने तथा आने वाले वर्षों में राजनैतिक विकास, आर्थिक व्यापार, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रों में उनका सक्रिय विकास करने के उद्देश्य से। शांति, लोकतंत्र, कानून के शासन, अहिंसा, मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रता के साझा आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कानून संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रयोजनों और सिद्धान्तों सहित के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित पैराग्राफों में निर्धारित रणनीतिक सहभागिता के सम्बन्ध स्थापित करने की घोषणा की<sup>8</sup>—

### सामान्य सिद्धान्त

1. दोनों पक्षकारों के बीच आपसी सूझ-बूझ तथा दीर्घावधिक विश्वास पर आधारित इस करार में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बहुआयामी सम्बन्धों को उच्चतर स्तर पर ले जाने की परिकल्पना की गई है।
2. दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक सहभागिता, दोनों राष्ट्रों की सम्प्रभुता, समानता एवं भू-क्षेत्रीय अखंडता, एक-दूसरे के आंतरिक कार्यों में अहस्तक्षेप, पारस्परिक सम्मान तथा आपसी लाभ के सिद्धान्तों पर आधारित है।
3. दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहभागिता किसी अन्य राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के समूह के विरुद्ध निर्देशित नहीं है।

### राजनैतिक एवं सुरक्षा सहयोग

1. दोनों पक्षकार निकट राजनैतिक सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं तथा इस सम्बन्ध में नियमित द्विपक्षीय राजनैतिक एवं विदेश कार्यालय परामर्शों के लिए संरचना स्थापित करेंगे। राजनैतिक परामर्श दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में किया जाएगा तथा इसमें वर्ष में कम से कम एक बार शिखर स्तरीय परामर्श आयोजित करना शामिल होगा।
2. दोनों पक्षकार संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर परामर्श एवं सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। ऐसे सहयोग का उद्देश्य इन मंचों पर दोनों देशों के हित में निर्णय लेने को

प्रभावित करना है। संयुक्त राष्ट्र एवं बहुपक्षीय सहयोग में निम्नलिखित शामिल होगा;

- मुख्य क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संयुक्त पहल;
  - सुरक्षा परिषद् में भारत के लिए स्थायी सदस्यता, सहित संयुक्त राष्ट्रसुरक्षा परिषद् में सुधार एवं विस्तार के लिए समर्थन।
3. दोनों पक्षकार राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए अवसंरचना प्रदान करने के लिए रणनीतिक वार्ता स्थापित करने के लिए सहमत है। यह वार्ता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के नेतृत्व में होगी तथा इसमें क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आपसी प्रयास तेज करने के उद्देश्य से नियमित परामर्श शामिल है।
  4. दोनों पक्षकारों के बीच सुरक्षा सहयोग का आशय अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी तथा मनी लॉड्रिंग इत्यादि के विरुद्ध लड़ाई में अपने सम्बन्धित एवं आपसी प्रयासों के संवर्धन में सहायता करना है।
  5. भारत अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण व शस्त्रबद्ध करने में क्षमता निर्माण और उनकी कार्यक्रमों के लिए आपसी सहमति से निर्धारित सहायता करने के लिए सहमत हुआ है।

#### व्यापार एवं आर्थिक सहायता

1. दोनों पक्षकार व्यापार एवं आर्थिक सम्बन्धों में विस्तार करने के लिए व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग के साथ व्यापार एवं उद्योग प्रतिनिधियों के अन्य निकायों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने के लिए वचनबद्ध हैं।
2. अफगानिस्तान के दीर्घकालिक विकास के हित में तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक अंतर्निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षकार कृषि, ग्रामीण विकास, खनन, उद्योग, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, परिवहन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की मजबूत करने एवं उनका विविधीकरण करने के लिए वचनबद्ध हैं जिसमें नागर विमानन तथा दोनों पक्षकारों की सहमति से निर्धारित करने वाले अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं।
3. दोनों पक्षकार व्यापार एवं निवेश को संवर्धित करने के लिए अनुकूल परिवेश स्थापित करने के लिए प्रभावशाली उपाय करने के लिए सहमत हैं। इन उपायों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे;
  - निवेश सुरक्षा संवर्धित करना;

- सीमा शुल्क एवं अन्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा गैर-शुल्क अवरोधों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा धीरे-धीरे शुल्क अवरोधों को समाप्त करना;
  - वाणिज्यिक आदान-प्रदान के संवर्धन के लिए एयर कार्गो सेवाएँ स्थापित करने के लिए कार्य करना;
  - बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में सहयोग करना तथा ऋण एवं बीमा सुविधाओं में सुधार करना, और
  - अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय निकायों में सहयोग एवं समन्वय संवर्धित करना।
4. दीर्घावधिक परिदृश्य में द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सम्बन्धों में सतत विकास करने के लिए दोनों पक्षकार भारतीय एवं अफगानी निकायों के बीच आदान-प्रदान के लिए प्रभावशाली संरचना स्थापित करेंगे। विशेष उपायों में निम्नलिखित शामिल होंगे;
    - दोनों देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग संवर्धित करने के लिए क्षेत्रों/प्रांतों के बीच सम्पर्क प्रोत्साहित करना;
    - दोनों देशों के सम्बन्धित निकायों को तृतीयक देशों के साथ क्षेत्रीय व्यापार प्रबंधों की संभावनाओं का संयुक्त रूप से पता लगाने के लिए अधिदेशित करना;
    - गुणवत्ता आश्वासन एवं मानकीकरण तथा नई प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित संस्थानों के बीच सहयोग संवर्धित करके अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा को और संवर्धित करना; और दोनों देशों के वाणिज्य और उद्योग संघों के बीच अधिक से अधिक सहयोग प्रोत्साहित करना।
  5. इस बात को स्वीकार करते हुए कि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग प्रत्येक राष्ट्र की भावी आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों पक्षकार द्विपक्षीय रूप से क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संवर्धित करने में सहयोग करने के लिए सहमत हैं। क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में निम्नलिखित शामिल होगा;
    - मध्य एवं दक्षिण एशिया को जोड़ने वाले व्यापार परिवहन एवं ऊर्जा केन्द्र के रूप में उभरने में अफगानिस्तान की सहायता करना तथा परिवहन एवं पारेषण सम्पर्कों को और स्वतंत्र एवं स्वच्छंद बनाने में सहायता करना;
    - क्षेत्रीय अवसंरचना परियोजनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रीत करना;
    - आपसी लाभ के लिए अफगानी एवं भारतीय उत्पादों के बाजार खोलकर दक्षिण एशियाई एवं

वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के भीतर अफगानी अर्थव्यवस्था के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने में सहायता करना और दोनों पक्षकार सार्क के सदस्य हैं जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाना।

### क्षमता विकास और शिक्षा

1. अफगानिस्तान के दीर्घकालिक स्थायी विकास के हित में एवं भारत द्वारा अफगानिस्तान में भारत द्वारा चलाये जा रहे मौजूदा उदार सहायता कार्यक्रम से लाभ उठाने के मद्देनजर भारत अफगानिस्तान एवं क्षमता निर्माण प्रयासों में अपनी सहायता जारी रखने के लिए वचनबद्ध है।

- अफगानिस्तान की प्राथमिकताओं के अनुरूप अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अतिरिक्त कृषि, खनन और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा।
- भारत सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्तर पर विकास के लिए विकास के लिए निर्माणाधीन लघु विकास परियोजनाओं (एसडीपीएस) का विस्तार करने के लिए भी वचनबद्ध है।

2. दोनों पक्ष दोनों देशों के मंत्रालयों/एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाकर सम्बन्धित सरकारों के बीच संस्थागत सम्पर्कों की स्थापना करने पर सहमत होते हैं। भारत ने उदाहरण के लिए अपनी संस्थागत, प्रशासनिक राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणालियों का अनुभव प्रस्तुत किया है जिसका कि अफगानिस्तान अध्ययन कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं एवं वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में लाभ उठा सकता है।

3. आईसीसीआर के सफल वार्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम और अफगानिस्तान के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की व्यापक कार्यनीति के भाग के रूप में भारत आईसीसीआर एवं आईटीईसी छात्रवृत्ति एवं बहुपक्षीय वित्तपोषण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में शिक्षा और पशिक्षण अवसरों को बढ़ाना जारी रखेगा।

- भारत, अफगानिस्तान की आवश्यकताओं के अनुरूप भारत में चिकित्सा, इंजीनियरी और प्रबंधन संस्थानों में छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने के अवसरों पर पता लगाएगा; और
- दोनों पक्षकार स्कूल और विश्वविद्यालय स्तरों पर छात्रों के वार्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देंगे एवं इसे सुकर बनाएंगे।

4. अफगान सरकार के लिए क्षमता निर्माण सहायता के भाग के रूप में भारत कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं संसद सहित सरकार की तीनों शाखाओं में विभिन्न

विभागों की तकनीक प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता निर्माण सहायता बढ़ावा जारी रखेगा।

5. राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर इसके प्रशासन एवं शासन को सुदृढ़ करने की अफगानिस्तान की आवश्यकताओं के उत्तर में भारत ने राष्ट्रीय राज्य जिला एवं स्थानीय निकाय स्तरों पर शासन एवं अफगानिस्तान की वास्तविकताओं के अनुकूल एक स्थायी कैरियर बेस्ड सिविल सर्विस स्थापित करने में तकनीकी सहायता का अपना अनुभव प्रदान करने का किया है।

### सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल सोसायटी एवं लोगों का लोगों के साथ सम्बन्ध

1. दोनों देशों के लोगों के बीच विद्यमान सम्बन्धों को आगे बढ़ाने के अनुसरण में दोनों पक्षों ने संसद, मीडिया, महिलाओं, युवाओं, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं धार्मिक हस्तियों एवं निकायों के बीच वृहत्तर आदान-प्रदान की परिकल्पना की है।

2. इंडिया-अफगानिस्तान फाउंडेशन के माध्यम से दोनों पक्ष कला, साहित्य, कविता और इसी प्रकार के क्रियाकलापों पर जोर देते हुए सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ावा देंगे एवं एक-दूसरे की सांस्कृतिक विरासत एवं उपलब्धियों को ओर उजागर करेंगे।

3. दोनों पक्ष स्वतंत्र एवं मुक्त मीडिया के ढांचे के भीतर अपने सम्बन्धित देशों में मीडिया संगठनों के बीच अधिक से अधिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

4. दोनों पक्ष महिलाओं के उत्थान, उनकी शिक्षा एवं अधिकारों तथा साथ ही समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करेंगे।

5. दोनों देशों के लोगों के बीच संवाद एवं वैद्य आवाजाही को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों पक्ष दोनों देशों के नागरिकों द्वारा यात्रा के लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर सहमत हैं। दोनों पक्ष निम्नवत् चाहते हैं-

- दोनों देशों में पर्यटक संगठनों के बीच पर्यटकों के आदान-प्रदान एवं सहयोग को बढ़ावा देना; और
- दोनों देशों के शहरों/प्रांतों/राज्यों के बीच सम्बन्धित करारों को बढ़ावा देना।

6. एक देश के राष्ट्रियों को दूसरे देश में चलने वाले विधिक मामलों को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों पक्ष सिविल एवं फौजदारी मामलों में परस्पर विधिक सहायता पर करार सम्पन्न करने के लिए कार्य करेंगे।

7. सिविल सोसायटीयों के बीच सम्बन्धों को बढ़ावा देने, विशेषकर, बौद्धिक आदान-प्रदान करने के लिए दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रख्याति व्यक्ति सहित भारत-अफगानिस्तान गोलमेल स्थापित करना चाहते हैं।
8. दोनों पक्ष खेलों के क्षेत्र में सहयोग एवं आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमत हैं।
9. दोनों पक्ष केन्द्र और राज्यों/प्रांतों के बीच सहभागिता, वितरण, शक्तियों के विकेन्द्रीकरण तथा स्थापित मूल्यों एवं प्रजातंत्र के संस्थानों के सम्बन्ध में एक-दूसरे के अनुभव से सीख लेने पर सहमत हैं।
10. दोनों पक्ष संसदीय शिष्टमंडलों का दौरा आयोजित करते हुए तथा दोनों देशों में संसदीय मैत्री समूह स्थापित करते हुए दोनों देशों के बीच संसदीय आदान-प्रदान की स्थापना करने पर सहमत हैं।

इस प्रकार भारत के सहायता कार्यक्रम अफगानिस्तान भर में फैले हुए हैं और यह आर्थिक तथा सामाजिक विकास के साथ सम्पूर्ण-क्षेत्र में फैले हैं।<sup>9</sup> संभार तंत्रीय और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को पूरा किया गया जिनमें काबुल में अफगानिस्तान के नई संसद भवन, जो बहुलता तथा लोकतंत्र में दोनों देशों की समान वचनबद्धता के प्रतीक को दर्शाता है भारत ने 710 करोड़ डॉलर की मदद से इस संसद भवन की इमारत को बनाया है। 25 दिसम्बर, 2015 को काबुल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस नये संसद भवन का उद्घाटन किया और कहा कि संसद की नई इमारत भारत-अफगानिस्तान के संबंधों की भावना और मूल्यों का अटूट प्रतीक है।<sup>10</sup> नई संसद भवन भारत-अफगानिस्तान संबंधों की दोस्ती का नई प्रतीक बन गई है और यह दोस्ती

सिर्फ दो मुल्कों की ही नहीं है बल्कि इस इमारत ने सैंकड़ों भारतीय और अफगान लोगों को भी दोस्त बना दिया है। इसलिए नई संसद भवन अफगानिस्तान के लोगों के विश्वास, भावनाओं और लोकतंत्र की प्रति गहन आस्था को प्रकट करती है।

अतः 2001 में अफगानिस्तान से तालिबानी शासन का अंत हुआ उसके बाद से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत पहले दिन से ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में एक अहम भूमिका निभा रहा है। हालांकि तालिबान या अन्य तमाम गुट जिनको यह कभी रास नहीं आया की भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में कोई भी भूमिका निभाये<sup>11</sup> लेकिन भारत ने तमाम विपरीत परिस्थितियों में अफगानिस्तान के लोकतंत्र को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तरफ से एक उपहार है एक तोहफा है यह अफगानिस्तान की नई संसद भवन जिसमें बैठकर एक भययुक्त, हिंसायुक्त लोकतंत्र के विकास की कहानी लिख सके और अफगान नागरिकों के आशा उम्मीदों को पूरी कर सके। लेकिन इन सब तमाम कोशिशों के बावजूद भी अफगानिस्तान की जो समस्या है उसे कोई एक अकेला देश सुलझा नहीं सकता और खासतौर से भारत तो नहीं सुलझा सकता। क्योंकि जो समस्या अमेरिका नहीं सुलझा पाया वो भारत के लिए सम्भव नहीं है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है तो इसका कुछ अन्तर्राष्ट्रीय हल ही निकलेगा। जिस तरह वहां सुरक्षा की चुनौती बनी हुई है और आर्थिक हालत भी बदतर है इसलिए वहां पर सहायता व सहयोग की बड़ी अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से की जाती है जिसे अफगानिस्तान में शांति एवं खुशहाली आ सके और एक सभ्य राष्ट्र के रूप में अपनी एक स्वतंत्र और सम्प्रभु पहचान अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में बना सके।

## सन्दर्भ सूची

1. Dutt, V.P.; "India's Foreign Policy", New Delhi, Vikas Publishing House.
2. Sikri Rajiv; "Challenge and Strategy Rethinking India's Foreign Policy", New Delhi. Sage Publishing.
3. Annual Report (2008-09) foreign affiar's minister, New Delhi.
4. Annual Report (2010-11) foreign affiar's minister, New Delhi.
5. www.foreignaffiarminister, New Delhi.
6. Annual Report (2010-11) foreign affiar's minister, New Delhi.
7. Annual Report (2009-10) foreign affiar's minister, New Delhi.
8. India Prespective Journal (2016), Foreign Affiar's Minister, New Delhi.
9. India Afghan Relation, Joint Statement (Oct., 2011), Foreign Affiar's Minister, New Delhi.
10. Chandra, Vishal (2013), "India Neighbourhood: The Arms of South Asia", New Delhi. Pentagon Press.
11. Brass-Task Reporter (2016); "Pakistan Afghan Relation and India Infiltration.